

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कॉम जयपुर-302005)
टेलीफँक्स.0141-2222403, ईमेल- stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: F.59. STP/DLB/MSJKY (116)/17/153।

दिनांक: 25. 04. 2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2 मई, 2017 से मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत समस्त नगरीय निकाय में वार्ड वार्ड शिविर प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं। इन शिविरों के संबंध में प्रशिक्षण एवं शिविरों में किये जाने वाले कार्यों के संबंध में आमुखीकरण तथा विस्तृत प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 02 मई, 2017 को प्रातः 9:15 से 2:00 बजे तक बिरला ऑडिटोरियम, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर में माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसी कार्यशाला के दौरान "स्वच्छ भारत मिशन" के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी विशेष सत्र रखा गया है। इस कार्यशाला में निम्न जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है:-

जन प्रतिनिधिगण:-

- महापौर, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
- अध्यक्ष, नगर परिषद, समस्त।
- सभापति, नगर पालिका, समस्त।
- अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, समस्त।

अधिकारीगण (नगरीय विकास विभाग):-


- अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- संयुक्त शासन सचिव (समस्त), नगरीय विकास विभाग।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
- आयुक्त, जयपुर, जोधपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण।
- सचिव/संबंधित उपायुक्त, जयपुर, जोधपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण।

अधिकारीगण स्वायत्त शासन विभाग:-

- प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
- निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
- अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
- मुख्य अभियन्ता, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
- संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
- परियोजना निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
- मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
- संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
- सहायक निदेशक सतर्कता, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
- जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
- आयुक्त, नगर निगम/परिषद, समस्त।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
- मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम/नगर परिषद (समस्त)

- क्षेत्रीय उप निदेशक, समस्त।
- अधिकारीगण (नगर नियोजन विभाग):-
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
- नगरीय नियोजन विभाग के क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक (समस्त)।

कार्य/योजना के महत्व के दृष्टिगत कृपया इस संबंध में पूर्ण तैयारी के साथ निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करावें।



(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक: F.59. STP/DLB/MSJKY (116)/17/1532-60

दिनांक: 25.04.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः :

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
4. महापौर, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
5. अध्यक्ष, नगर परिषद, समस्त।
6. सभापति, नगर पालिका, समस्त।
7. अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, समस्त।
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
9. निजी सचिव संयुक्त शासन सचिव (समस्त), नगरीय विकास विभाग।
10. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
11. आयुक्त, जयपुर, जोधपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण।
12. सचिव/संबंधित उपायुक्त, जयपुर, जोधपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण।
13. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
14. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
15. संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
16. परियोजना निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
17. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
18. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
19. संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
20. सहायक निदेशक सतर्कता, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
21. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
22. आयुक्त, नगर निगम/परिषद, समस्त।
23. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
24. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता नगर निगम/नगर परिषद (समस्त)
25. क्षेत्रीय उप निदेशक, समस्त।
26. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
27. नगरीय नियोजन विभाग के क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक (समस्त)।
28. सिटी मैनेजर एसोसिएशन राजस्थान।
29. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

25/04/2017
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक